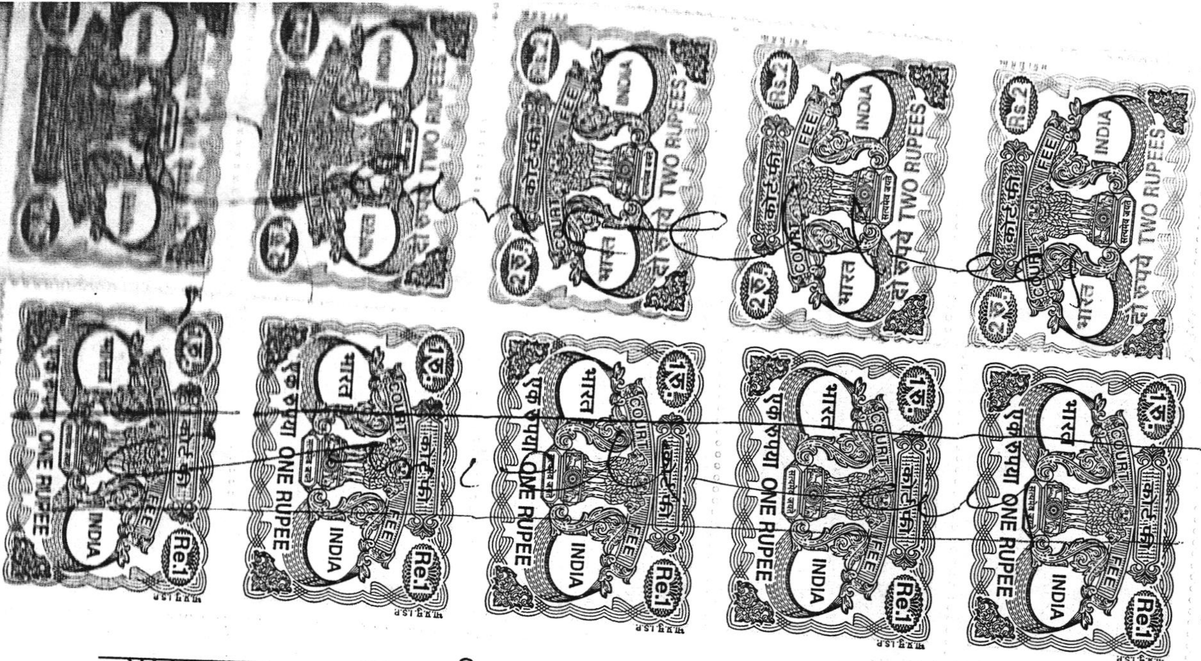

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. /2010 अपील

अपील - 667- PBR/10

श्री एस.पी. धाकड़ - एडवोकेट
द्वारा आज दि० 11-5-10 को प्रस्तुत।

ASO अवर सचिव 11-5-10
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

इन्द्रजीत कौर पत्नी श्री हरविन्दर सिंह
निवासी 8 खेडापति कॉलोनी ग्वालियर
जिला ग्वालियर म.प्र.

--- अपीलान्ट

बनाम

1. यूको बैंक पुराना हाईकोर्ट शाखा जयेन्द्रगंज ग्वालियर
2. अपर तहसीलदार तहसील ग्वालियर

--- रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय आयुक्त महोदय आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रक. 6/08-09 आदेश दिनांक 06-04-10 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A 667–PBR / 10 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–7–2015	अपीलार्थी की ओर से श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक उपस्थित । प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से श्री अजीत सुडेले, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 2 शासन की ओर से श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि जिस तहसीलदार से प्रकरण स्थानान्तरण के सम्बंध में आयुक्त को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका स्थानान्तरण हो चुका है । इसके अतिरिक्त आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण अ–76 शीर्ष में दर्ज कर वसूली हेतु मांग की सूची जारी की गई है, और अपीलार्थी द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया गया है । अपीलार्थी चाहे तो तहसीलदार के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, प्रकरण अन्य न्यायालय को अंतरित करने का कोई ठोस कारण प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 29 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	